



126  
15

**कार्यालय टिप्पणी**

अपीलांत के अव. उपण/ अपीलांत के अव. नं. P.O. को रसीद रेसपो सं 5 को तबली के सेवक से पेअ गयी की है तथा सिफरत किया है कि रेसपो सं 5 का देहान्त हो चुका है, जिसकी जानकारी प्राप्त कर अपील पर मुत करनी है। अतः एक अक्सर दिग्रा जारे। न्यायहित से एक अंतिम अक्सर प्रदान किया जाता है। पत्रावली दिनांक 2-7-15 को पेअ हो।

*(Handwritten signature)*

27  
15

पत्रावली पेअ हुई। वकील अपीलांतको वक - 2 कर, वार - 2 आपाजे लगाई गई, लेकिन हाजिर नहीं हुए और न ही गत आदेश को पालना की गई है। जबकि अंतिम अक्सर प्रदान किया गया था। अतः वकील अपीलांत के हाजिर न होने से अपील अपीलांत अदम हाजरी, अदम परवी से खारिज की जाती है। आदेश की प्रति रेकार्ड के साथ अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जावे। पत्रावली फंसव अक्सर की जाकर बाद तबलीय दाखिल दफुवर हो। आदेश हुकमे न्यायालय से सुनाया गया।



अति. जिला कलेक्टर (प्रशासन)  
श्रीगंगानगर (राज.)